55

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

नि.प्र.क.– निगरानी - 6103/2018/छतरपुर/भू.रा. सन्–

सतेन्द्र सिंह तनय नारायण सिंह निवासी ग्राम अचट्ट

थाना नौगॉव तहसील व जिला छतरपुर ....पुनःरीक्षणकर्ता /अनावेदक

विरूद्ध

1. राजबहादुर सिंह तनय रूद्रप्रताप सिह निवासी ग्राम अचट्ट
   थाना नौगॉव तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0
2. शासन म.प्र. ....गैरपुनःरीक्षणकर्ता / आवेदक

16-10-18
23-10-18
16.10.18

आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

निगरानी विरूद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय सागर के प्रकरण क्र. 03/निगरानी/2017–18 सतेन्द्र सिंह विरूद्ध राजबहादुर सिंह में पारित आदेश दिनांक 25.09.2018 से दुःखी होकर।

महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है –

16-10-18

1. यह कि पुनःरीक्षणकर्ता/अनावेदक विरूद्ध गैरपुनःरीक्षणकर्ता आवेदक ने श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय छतरपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पुनःरीक्षणकर्ता /अनावेदक का ग्राम अचट्ट का निवास प्रमाण पत्र जो प्रकरण क्र.993/बी–121/2011–12 में दिनांक 27.03.2012 को दिया गया है गलत तथ्यों के आधार पर जारी किया गया है,जो निरस्त किया जायें।
2. यह कि श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय छतरपुर ने गैर पुनःरीक्षणकर्ता /अनावेदक के आवेदन पत्र के आधार पर पुनःरीक्षणकर्ता/अनावेदक को सूचना पत्र दिया जिसमें विधिवत उत्तर पुनःरीक्षणकर्ता ने दिया तथा संलग्न ग्राम अचट्ट के निवास संबधी दस्तावेज भी पेश किये। जिसमें जमीन की रजिस्ट्री वर्ष 1990 की एवं मकान का बेचनामा वर्ष 1998 का संलग्न कर जबाव प्रस्तुत किया था। जिससे स्पष्ट है कि पुनःरीक्षणकर्ता/अनावेदक की चल अचल सम्पत्ति ग्राम अचट्ट में है ग्राम अचट्ट में निवास करता है।

(2)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

निगरानी–6103 / 2018 / छतरपुर / भू0रा0.

सतेन्द्र सिंह विरूद्ध राजबहादुर आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–10–18	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 03 / निगरानी / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 25–09–2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आलोच्य आदेश की सत्यापित प्रति एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक को निवास प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने के कारण अपर आयुक्त सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी। अपर आयुक्त ने यह निष्कर्ष निकाला है कि निवास प्रमाण–पत्र प्रशासकीय आदेशों के तहत प्रदाय किये जाते है, जिसके विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 में निगरानी या अपील का प्रावधान न होने संबंधी निष्कर्ष निकालते हुये निगरानी खारिज की है। अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष में विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती। 4/ दर्शित परिस्थितियों में निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर.के. जैन) 23.X.18 सदस्य	